

(भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-11, खंड-3, उप-खंड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार  
वित्त मंत्रालय  
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 25/2019- एकीकृत कर (दर)

नई दिल्ली, दिनांक 22 नवम्बर, 2019

सा.का.नि..... (अ.)- एकीकृत माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 6 की उप धारा (3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर और इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना आवश्यक है, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 8/2017- एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 जिसे सा.का.नि. 683 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-11, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है। उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम संख्या 26 के समक्ष, कॉलम (3) में, मद (i) में निम्नलिखित स्पष्टीकरण को अंतः स्थापित किया जाएगा, यथा: -

“स्पष्टीकरण: इस प्रविष्टि के उद्देश्य से, “बस की बॉडी बिल्डिंग” में सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की प्रथम अनुसूची के अध्याय 87 के अंतर्गत आने वाले किसी भी वाहन की चैसिस पर की जाने वाली बॉडी बिल्डिंग भी आएगी”

(फाइल संख्या 354/150/2019-टीआरयू)

(प्रमोद कुमार)  
निदेशक, भारत सरकार

नोट: प्रधान अधिसूचना संख्या 8/2017- एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 को सा.का.नि 683 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 19/2019- एकीकृत कर (दर), दिनांक 30 सितम्बर, 2019, सा.का.नि 730 (अ), दिनांक 30 सितम्बर, 2019, के तहत, के द्वारा संशोधन किया गया है।